

2166/2

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्राप्ति द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर दितीय मुरादाब्राद इम 2021265008228

अपेदन संख्या: 202100719015196

वेब या प्राप्ति पर प्रस्तुत करने का दिनांक 2021-04-07 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता का प्राप्ति का नाम सोशल मेट्रोका

लेख का प्रकार विवरण पर

प्रतिकूल की धनराशि 1050000 / 1050000.00

- 1. रजिस्ट्रिकरण शुल्क 10500
- 2. प्रतिनिधित्व शुल्क 50
- 3. निरीक्षण या सत्यापन शुल्क
- 4. मुक्तार के अधिप्रमाणीकरण शुल्क
- 5. कमीशन शुल्क
- 6. विविध
- 7. यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 10560

शुल्क संग्रह करने का दिनांक 2021-04-07 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिनिधि या नवराज

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2021-04-07 00:00:00

रजिस्ट्रिकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

~~2166/1 = 870~~

~~2166/2 = 870~~

2

उप निबन्धक दितीय  
मुरादाब्राद

4041/2







बयनामा

बयनामा	10,50,000 /-रु०
मालियत	10,37,400 /-रु०
स्टाम्प	73,500 /-रु० //

हम कि मोहम्मद जान पुत्र मोहम्मद अली, तसलीम, अकील, शकील एवं शमीम पुत्रगण स्व. श्री अहमद जान व उमर अली, नौशाद एवं दिलशाद पुत्रगण स्व. श्री रमजानी, रियासत हुसैन एवं नजाकत अली पुत्रगण स्व. अलीजान निवासीगण मौहल्ला ढाप, अगवानपुर, तहसील व जिला मुरादाबाद प्रथम पक्ष (विक्रेतागण) एवम् मैसर्स पीयूष इन्फ्रारियलटर्स लि० (PAN No. AAFCP6293A) द्वारा निदेशक श्री पीयूष कान्त पुत्र स्व. श्री जगदीश सरन सकसैना निवासी एच.आई.जी. ए-42, रामगंगा विहार फेस-प्रथम, कांठ रोड, शहर व जिला मुरादाबाद द्वारा कम्पनी अधिकृत प्रतिनिधि गोपाल मेहरोत्रा पुत्र स्व. श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा, 27, आवास विकास, सिविल लाईन्स, शहर व जिला मुरादाबाद जो कम्पनी द्वारा पारित प्रस्ताव दिनांकित 06-11-2020 ई० से उक्त आराजी को खरीदने का अधिकार प्राप्त है (क्रेता) द्वितीय पक्ष हैं।

 अ. नि. तसलीम  
 अ. नि. तसलीम  
 अ. नि. शकील  
 अ. नि. शकील  
 अ. नि. शमीम  
 अ. नि. हुसैन  
 अ. नि. नौशाद  
 अ. नि. दिलशाद  
 अ. नि. दिलशाद  
 अ. नि. नजाकत  
 अ. नि. नजाकत

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी बाबत खाता संख्या-388 खसरा संख्या 2107 रकबई 0.1050 हैक्टेयर, खसरा संख्या 2108 रकबई 0.3680 हैक्टे, खसरा संख्या 2147 मि0 रकबई 0.0360 हैक्टे, खसरा संख्या 2150 रकबई 0.1940 हैक्टे, खसरा सं0 2166/2 रकबई 0.0870 हैक्टे व खसरा सं0 2167/2 रकबई 0.0870 कुल रकबई 0.8770 में से विक्रीत रकबई 0.1421 हैक्टे हैक्टेयर लागानी फर्द अनुसार बजमीं ताल्लुकात मुताल्लिका उसके स्थित ग्राम मुगलपुर उर्फ अगवानपुर मुस्तहकम, तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर विक्रेतागण अपने-अपने बकदर भाग पर बहैसियत भूमिधर मालिकाना मालिक, काबिज व दखील हैं। जिसकी निस्वत प्रथम पक्ष को हर इन्तकाल हाजा का हक हासिल है। जो इस वक्त तक हर तरह के बार मिस्ल रहन, बय, हिबा, जमानत, किफालत, कुर्की, नीलाम, मुआयदाबय दीगरे, लोन सरकारी व गैर सरकारी गरज कि हर नुक्स कानूनी व शास्त्री आदि से कतई बरी व पाक साफ है। जिसमें प्रथम पक्ष के अलावा दीगर कोई शख्स या खानदानी प्रथम पक्ष किसी भी प्रकार से शरीक या हकदार नहीं है। लिहाजा बहालत दुरुस्ती होश हवास खमसा अपनी के बिना बहकाये व सिखाये व दबाव नाजायज किसी के खूब सोच व समझकर उक्त आराजी काश्त भूमिधरी को अधिकार भूमिधरी सहित व मय तमामी हदूद व हकूक बिला छोड़े किसी जुज व हक व हिस्से

       
अ. नि. मोजाफ  अ. नि. लाम्गीन  अ. नि. मकीन  अ. नि. राजीव  अ. नि. राजीव  अ. नि. उरुमदी  
  
अ. नि. रिज्जान  
  
अ. नि. नोशद  
    
अ. नि. रिज्जान  अ. नि. नपाकत



के बिल एवज मुबलिग 10,50,000/- रुपये आधे जिसके 5,25,000/-रुपये होते हैं, बहक मैसर्स पीयूष इन्फ्रारियलटर्स लि0 (PAN No. AAFCP6293A) द्वारा निदेशक श्री पीयूष कान्त पुत्र स्व. श्री जगदीश सरन सक्सैना निवासी एच. आई.जी. ए-42, रामगंगा विहार फेस-प्रथम, कांठ रोड, शहर व जिला मुरादाबाद द्वारा कम्पनी अधिकृत प्रतिनिधि गोपाल मेहरोत्रा पुत्र स्व. श्री सुशील कुमार मेहरोत्रा, 27, आवास विकास, सिविल लाईन्स, शहर व जिला मुरादाबाद **द्वितीय पक्ष** के हाथ बय कतई और फरोख्त कामिल करके कुल जरे समन द्वितीय पक्ष से वसूल पाकर प्रथम पक्ष ने तमामी शय मुबईया मजकूरा बाला का कब्जा व दखल मालिकाना स्थल पर करा दिया। अब प्रथम पक्ष का या उसके किसी वारिस का कुछ हक व ताल्लुक मालिकाना व दावा किसी किस्म का निरबत शय मुबईया या जरे समन उसके से बाकी नहीं रहा और न ही आइन्दा कभी होगा। चुनाँचे तकाबिजुल बदलैन उसका बाहम प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष मजकूर के अमल में आ गया। जुमला जमाने दर्क व इस्तहकाक उसका बजिम्मं प्रथम पक्ष है। यदि बाद को कोई कानूनन या शास्त्रन वाक्या आवे। यदि बाद को किसी वक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष या कर्ज ख्वाह या औलाद प्रथम पक्ष या खानदानी प्रथम पक्ष या अन्य किसी शख्स की दावेदारी से शय मुबईया मजकूरा बाला का जुज या कुल भाग कब्जे द्वितीय पक्ष या वारिसान या कायम मुकामान उसके से निकल जावे या बगरज ताहफफुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष को कुछ सर्फा मजीद खर्च या अदा करना पड़े तो उसी कदर जरे समन की वापसी का प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से मय हर्जे व खर्चे अदालती व गैर अदालती देनदार व जिम्मेदार व पाबन्द रहेगी।

       
मं नि गोपाल मं नि तमलीक मं नि शरीफ मं नि शरीफ 27 अप्र 2015 27 अप्र 2015

  
मं नि गोपाल

  
मं नि शरीफ

    
मं नि शरीफ मं नि शरीफ मं नि शरीफ

आवेदन सं०: 202100719015196

विक्रय पत्र

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4041

प्रतिफल -

50000

स्टाम्प शुल्क -

78

बाजारी मूल्य - 1050000


प्रमाणिकरण शुल्क -

20500

प्रमाणिकरण शुल्क -

60

योजना सं०: 10560



श्री मैसर्स पीयूष इन्फ्रारियलटर्स लि द्वारा निदेशक पीयूष कान्त द्वारा गोपाल मेहरोत्रा अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि, पुत्र श्री स्व सुशील कुमार मेहरोत्रा व्यवसाय : अन्य निवासी: 27, आवास विकास सि०ला० मुरा०

श्री. मैसर्स पीयूष इन्फ्रारियलटर्स लि द्वारा निदेशक पीयूष कान्त द्वारा गोपाल मेहरोत्रा अधिकृत पदाधिकारी प्रतिनिधि

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय मे दिनांक 07/04/2021 एवं 01:54:05 PM बजे निबंधन हेतु

Handwritten signature/initials in blue ink.




मुरा... सिंह



वनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां, जिम्मेदारियां व पाबन्दियां बजिम्में प्रथम पक्ष होंगी। आज से जो हक व हकूक शय मुबईया से मुताल्लिक प्रथम पक्ष को हासिल थे, वह सब और कुल इस बयनामा के द्वारा बरतरफ द्वितीय पक्ष मजकूर मुन्तकिल हो गये हैं। अब द्वितीय पक्ष को हक व अधिकार है कि वह तमामी कागजात सरकारी में बइखराज नाम प्रथम पक्ष के अपना नाम बहैसियत स्वामी दर्ज करा लें और उससे जिस तरह चाहे मुस्तफीद हों। प्रथम पक्ष या वारिसान प्रथम पक्ष या दीगर किसी भी शख्स को कुछ उज्र व एतराज करने का हक न होगा। जो वक्फ, कस्टोडियन, शत्रु, सीलिंग आदि सम्पत्ति नहीं है। विक्रीत आराजी काशत में कोई पेड़, कूप, भवन, बोरिंग व ट्यूबवैल आदि नहीं है। जिसकी 200 मीटर की त्रिज्या के भीतर कोई विशेष स्थान नहीं है और जिसके चारों तरफ चकरोड़ छोड़कर खेती हो रही है। उक्त आराजी काशत में विक्रेतागण रियासत हुसैन एवं नजाकत अली पुत्रगण स्व० अलीजान ने उक्त समस्त गाटा संख्याओं अपना पूर्ण भाग बय किया है तथा शेष विक्रेतागण ने खसरा सं० 2166/2 व खसरा सं० 2167/2 में अपना पूर्ण भाग बय किया है और कोई भाग शेष नहीं रहा

\*2166/2 व 2167/2 में



अ. न. श. श. श.




अ. न. श. श. श.



अ. न. श. श. श.



अ. न. श. श. श.



अ. न. श. श. श.



अ. न. श. श. श.



अ. न. श. श. श.



अ. न. श. श. श.



अ. न. श. श. श.



अ. न. श. श. श.

अ. न. श. श. श.



निवासी: उक्त

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 8



श्री दिलशाद, पुत्र श्री स्व रमजानी

निवासी: उक्त

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 9



श्री रियासत हुसैन, पुत्र श्री स्व अली जान

निवासी: उक्त

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 10



श्री नजाकत अली, पुत्र श्री स्व अली जान

निवासी: उक्त

व्यवसाय: अन्य

क्रेता: 1



श्री मैसर्स पीयूष इन्फ्रारियलटर्स लि द्वारा निदेशक पीयूष कान्त के द्वारा गोपाल मेहरोत्रा, पुत्र श्री स्व सुशील कुमार मेहरोत्रा

निवासी: 27, आवास विकास सि0ला0 मुरा0

व्यवसाय: अन्य




ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान पहचानकर्ता: 1

श्री शिव कुमार, पुत्र श्री छोटे सिंह

निवासी: ग- 34, नया गांव मुरा0

व्यवसाय: अन्य


पहचानकर्ता: 2



श्री राज कुमार, पुत्र श्री राम.चरन सिंह

निवासी: 349, सोनकपुर कांशीराम मुरा0

व्यवसाय: अन्य

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है।  
टिप्पणी:

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रवीण कुमार  
उप निबंधक : सदर द्वितीय  
मुरादाबाद

विक्रीत सम्पत्ति की बाजारी कीमत मूल्यांकन सूची के कम्प्यूटर कोड नं०-1002 पृष्ठ सं० 43 दर के अनुसार 73,00,000/- रू० प्रति हेक्टे० निर्धारित है। जिससे कुल मालियत रुपये 10,37,400/- होती है, जबकि खरीदारी रुपये 10,50,000/- की है, इस कारण खरीदारी पर तदानुसार हस्त कायदा ई-स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। जिसमें अंकन 73,500/- रू० का ई-स्टाम्प जिसका सर्टिफिकेट नम्बर IN-UP54174649331975T दिनांक 25-03-2021 ई० को जारी हुआ, लगाया है। विक्रीत सम्पत्ति किसी मुख्य मार्ग पर नहीं है व मुख्य मार्ग से 500 मीटर से अधिक अन्दर है। विक्रीत सम्पत्ति के 50 मीटर की त्रिज्या में कोई व्यवसायिक गतिविधि विद्यमान नहीं है।  
नोट- उक्त आराजी की फर्द में चरनजीत सिंह कपानी पुत्र श्री सुखदेव सिंह कपानी का नाम गलत अंकित चला आ रहा है, जिसके नाम दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

क्रेता व विक्रेतागण व गवाहान के मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप सक्रिय है। पक्षगण के फोटो गवाहान की शिनाख्त पर भरत पोरवाल, एडवोकेट ने सत्यापित किये।



अ. न. गोशाल



अ. न. गोशाल



अ. न. गोशाल



अ. न. गोशाल



अ. न. गोशाल



अ. न. गोशाल



अ. न. गोशाल



अ. न. गोशाल



अ. न. गोशाल



अ. न. गोशाल

अ. न. गोशाल



आवेदन सं०: 202100719015196

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 4041

वर्ष: 2021

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त  
विक्रेता: 1

श्री मौहम्मद जान, पुत्र श्री मौहम्मद अली

निवासी: ढाप अगवानपुर तह0 व जिला मुस0

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 2



श्री तसलीम, पुत्र श्री स्व अहमद जान

निवासी: उक्त

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 3




श्री अकील, पुत्र श्री स्व अहमद जान

निवासी: उक्त

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 4



श्री शकील, पुत्र श्री स्व अहमद जान

निवासी: उक्त

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 5



श्री शमीम, पुत्र श्री स्व अहमद जान

निवासी: उक्त

व्यवसाय: अन्य

विक्रेता: 6



श्री उमर अली, पुत्र श्री स्व रमजानी

निवासी: उक्त


व्यवसाय: अन्य


विक्रेता: 7




श्री नौशाद, पुत्र श्री स्व रमजानी

लिहाजा यह बयनामा कतई लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे इति।  
तफसील वसूली-अंकन 10,50,000/-रु० द्वारा रुपये 43,750/- चैक संख्या 440144, रुपये  
10,950/- चैक संख्या 440145, रुपये 10,950/- चैक संख्या 440146, रुपये 10,950/- चैक  
संख्या 440147, रुपये 10,950/- चैक संख्या 440148, रुपये 1,03,983/- चैक संख्या 440150,  
रुपये 1,03,983/- चैक संख्या 440151, रुपये 1,03,984/- चैक संख्या 440152, रुपये  
3,25,250/- चैक संख्या 440153, रुपये 3,25,250/- चैक संख्या 440154, दिनांक 24.03.2021,  
पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कांठ रोड, मुरादाबाद प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से बयनामों के पंजीकरण के  
पूर्व प्राप्त किये।


 अ.सि. नो. 117  
 अ.सि. नो. 117  
 अ.सि. नो. 117  
 अ.सि. नो. 117  
 अ.सि. नो. 117  
 अ.सि. नो. 117  
 अ.सि. नो. 117  
 अ.सि. नो. 117  
 अ.सि. नो. 117

 अ.सि. नो. 117  
साक्षी-  
  
शिव कुमार  
पुत्र श्री छोटे सिंह  
निवासी ग-34, नया गांव  
मुरादाबाद

 अ.सि. नो. 117  
साक्षी-  
  
राज कुमार  
पुत्र श्री राम चरन सिंह  
निवासी 349, सोनकपुर,  
काशीराम, मुरादाबाद।  


यह बयनामा आज दिनांक 03-04-2021 ई० बमुकाम मुरादाबाद बड़करार पक्षगण बमशबरा भरत  
पोरवाल, एडवोकेट, विवेक गुप्ता ने टाइप किया।



  
पोरवाल एडवोकेट  
चै० नं० 201 कचहरी  
मुरादाबाद  
मो०-9837132371

आवेदन सं०: 202100719015196

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 13250 के पृष्ठ 243 से 258 तक क्रमांक 4041 पर दिनांक 07/04/2021 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रवीण कुमार यादव  
उप निबंधक : सदर द्वितीय  
मुरादाबाद  
07/04/2021





NOT SCALE

चक्रशा अराजी काश्त मुनिधरी गारा सं: - 2107, 2108  
 2147<sup>रि</sup>, 2150, 2166/2, 2167/2 कुल विक्रीत शकर्स 0-1421<sup>रि</sup>  
 वाक्य ग्राम मुगलपुर उर्फ अजावानपुर मुस्तो परगना  
 जिला मुदावाबाद  
 इकरारी श्री श्री. जगन आद  
 मौसुमा विपुष इ. कारिपलटर्स लि

चाहे विक्रीत अराजी के 200 मी० की रिज्या में खेती होती है

R/1/1000

कुल पत्र है.....

पतिश्री विजयनी पट  
मु. मु. मु.

खेत

गा. सं. - 2107, 2108  
 2147<sup>रि</sup>, 2150, 2166/2  
 2167/2

पत्र

खेत

खेत

श्री श्री. जगन

Mehar

श्री श्री. जगन

श्री श्री. जगन

Mehar